[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या 3 एच०एल०ए०

हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024

मेले के प्रबन्धन, संचालन तथा विनियमन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा गठन हेतु तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार ऐसे मेला क्षेत्र तक होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण;

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, प्राधिकरण का अध्यक्ष;

(ग) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से अभिप्राय है, धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी;

(घ) "हरित अंचल" से अभिप्राय है, पॉलीथीन, कूड़ा–कर्कट और ऐसी कोई गतिविधि, जो पर्यावरण को प्रदूषित करे तथा जो केन्द्रीय सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के प्रतिकूल हो, से मुक्त कोई क्षेत्र;

(ङ) "मेला" से अभिप्राय है, ऐसे मेले, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु मेला के रूप में घोषित करे;

(च) "मेला क्षेत्र" से अभिप्राय है, किसी मेले का संचालन या आयोजन करने के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से उपयोग किया गया कोई स्थान और इसमें सभी भूमियां और उससे आसक्त भवन भी शामिल हैं;

(छ) "मेला अवधि" से अभिप्राय है, मेले का आयोजन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियत अवधि;

(ज) "सदस्य" से अभिप्राय है, प्राधिकरण का सदस्य और इसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शमिल हैं;

(झ) "आयोजक" से अभिप्राय है, मेले का आयोजन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, न्यास, सोसाइटी या कम्पनी;

(ञ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ट) "विनियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम;

(ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

धेकरण की ापना।

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण को स्थापित करेगी।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा रखने वाला निगमित निकाय होगा तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा तथा उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

धेकरण का न।

4. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:–

(क)	मुख्य मन्त्री, हरियाणा	:	अध्यक्ष
(ख)	कार्यभारी मन्त्री, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	:	पदेन वरिष्ठ उपाध्यक्ष
(ग)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रख्यात तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति	:	उपाध्यक्ष
(घ)	प्रशासकीय सचिव, वित्त विभाग	:	पदेन सदस्य
(ङ)	प्रशासकीय सचिव, स्वास्थ्य विभाग	:	पदेन सदस्य
(च)	प्रशासकीय सचिव, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग	:	पदेन सदस्य
(छ)	प्रशासकीय सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	:	पदेन सदस्य
(ज)	प्रशासकीय सचिव, सूचना, जन सम्पर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग	:	पदेन सदस्य
(झ)	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) की पदवी से नीचे का न हो	:	पदेन सदस्य
(ञ)	उपायुक्त, कुरूक्षेत्र	:	पदेन सदस्य

(ट) कुलपति, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र : पदेन सदस्य

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पाँच प्रख्यात तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति : सदस्य

(ड़) मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सदस्य–सचिव

(2) नामनिर्दिष्ट सदस्यों के भत्ते ऐसे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उसका पद, अध्यक्ष द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार करने की तिथि से रिक्त हो जाएगा।

(4) प्राधिकरण ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को सहयोजित कर सकता है, जिसकी सहायता या परामर्श अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों की अनुपालना में यह चाहे तथा इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को सुसंगत प्रयोजन, जिसके लिए उसे सहयोजित किया गया है, प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने हेतु हकदार नहीं होगा।

योग्यताएं।

5. (1) निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्हक होगा, यदि वह,–

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) अच्छा आचरण और प्रतिष्ठा वाला है तथा परिक्षेत्र में सम्मान का पात्र है;

(ग) हिन्दू संस्कृति तथा श्रीमद्भगवत गीता की शिक्षाओं से निष्णात है;

(घ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की न्यूनतम योग्यता रखता है;

(ङ) कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में अनुभव रखता है;

(च) हिन्दू धार्मिक प्रथाओं का विद्वान है।

अयोग्यताएं।

6. ऐसा व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने हेतु अयोग्य होगा, यदि वह,–

(क) विकृत चित्त है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;

(ख) मूक, बधिर है या संक्रामक कुष्ठ या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से ग्रस्त है;

(ग) उन्मोचित दिवालिया है;

(घ) प्राधिकरण के विरूद्ध विधिक व्यवसायी के रूप में पेश हो रहा है;

(ङ) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए दाण्डिक न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है;

(च) प्राधिकरण से आसक्त कोई पदधारी या सेवक है;

(छ) प्राधिकरण के प्रशासन में कदाचार का दोषी पाया गया है;

(ज) मादक मदिरा या नशे का आदी है; या

(झ) राज्य सरकार की राय में, प्राधिकरण के हित के विरूद्ध कार्य किया है।

पदावधि।

7. (1) नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि, ऐसी तिथि से, जिसको वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष होगी।

(2) किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक अवधियों के लिए नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

आकस्मिक रिक्ति।

8. किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य का पद उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाने या निःशक्तता या अन्यथा के कारण कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, उस तिथि, जब ऐसी रिक्ति हुई है, से छह मास की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भरी जाएगी और ऐसा व्यक्ति, उस सदस्य, जिसकी रिक्ति के लिए वह नामनिर्दिष्ट किया गया है, की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

रिक्ति के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना।

9. प्राधिकरण के कार्य या कार्यवाहियाँ, मात्र किसी रिक्ति के विद्यमान होने, केवल किसी सदस्य के अनुपस्थित या प्राधिकरण के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

प्राधिकरण का कार्यालय तथा बैठकें।

10. (1) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्राधिकरण, प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा।

(3) बैठक का समय तथा स्थान ऐसा होगा, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए।

(4) प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(5) गणपूर्ति कम से कम आधे सदस्यों से होगी।

(6) प्राधिकरण, अपनी बैठकों के संचालन के लिए ऐसे प्रक्रिया नियमों का अनुपालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

प्राधिकरण की शक्तियां तथा कृत्य।

11. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:–

(क) श्रीमद्भगवत गीता की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना और उनका प्रसार करना;

(ख) सांस्कृतिक, शैक्षणिक सेमिनारों, कार्यशालाओं, मेलों, प्रदर्शनियों और सम्मेलनों का आयोजन करना;

(ग) मेलों का आयोजन करना;

(घ) मेला क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(ङ) मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(च) मेला क्षेत्र में स्वच्छ पीने योग्य जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना;

(छ) स्थायी या अस्थायी संरचना, जो स्वीकार्य तथा आवश्यक हो, द्वारा मेला क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए व्यवस्था करना;

(ज) मेला क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चौकी की व्यवस्था करना;

(झ) मेला क्षेत्र में और इसके आस–पास हरित अंचल का विकास तथा रख–रखाव करना;

(ञ) ऐसी अवसंरचना, जो प्राधिकरण मेला के बेहतर प्रबन्धन तथा प्रशासन हेतु विनिश्चय करे, की व्यवस्था तथा सृजन करने के लिए अल्पकालिक या दीर्घकालिक पट्टे हेतु व्यक्तियों के साथ करार करना;

(ट) राजस्व स्रोतों में वृद्धि के लिए नीति विनिश्चित करना;

(ठ) राज्य सरकार या अन्य स्रोतों से अनुदान के माध्यम से निधि के लिए व्यवस्था;

(ढ) कोई अन्य कृत्य, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक हों।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

12. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कम से कम पाँच वर्ष की न्यूनतम सेवा रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निधि में से ऐसी अन्य सुविधाओं सहित ऐसा मासिक वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियत किए जाएं।

(3) जब कभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवकाश पर है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार उसके वापस आने तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य अधिकारी को उसके स्थान पर नियुक्त कर सकती है।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां।

13. (1) प्राधिकरण के निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मेले के आयोजन से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में व्यवस्थाओं की निगरानी करने और आयोजक या अधिकारी को निम्नलिखित आदेश देने की भी शक्तियां होंगी:–

(क) मेला अवधि के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए स्थल का अस्थायी आबंटन करने;

(ख) मेला क्षेत्र में और इसके आस–पास अवस्थित भवनों की सुरक्षा करने;

(ग) आग बुझाने के लिए जल तथा किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति करने;

(घ) किसी विस्फोटक सामग्री के प्रवेश या उपयोग को वर्जित करने;

(ङ) मेला क्षेत्र से खतरनाक संक्रामक रोगों से पीड़ित किसी संदिग्ध व्यक्ति को हटाने;

(च) किसी गृह, आवास, भवन, जल आपूर्ति के स्रोत या संक्रमण के किसी अन्य संदिग्ध स्रोत को रोगाणुनाशन करने;

(छ) विधि–व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को मेला क्षेत्र में प्रवेश से रोकने या हटाने;

(ज) मानव स्वास्थ्य तथा उपभोग के लिए हानिकारक किसी खाद्य या अन्य सामग्री को नष्ट करने;

(झ) पूजा के धार्मिक स्थलों पर देवताओं के सुव्यवस्थित तथा सुरक्षित दर्शन करवाने को सुनिश्चित करने;

(ञ) गतिशील तथा स्थायी जन सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं, बिजली तथा जल आपूर्ति, सुरक्षा, परिवहन और सड़कों की सुचारू सेवाओं की व्यवस्था करने; तथा

(ट) मेला अवधि के दौरान मेला क्षेत्र में यातायात प्रबन्धन योजना उपलब्ध करने।

(2) उप–धारा (1) के किसी भी खण्ड के अधीन किए गए आदेश की प्रति आयोजक या सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

ाधिकरण का मला।

14. (1) राज्य सरकार के अनुमोदन से, प्राधिकरण, ऐसे स्थायी और अस्थायी अमले, जो इसे आवश्यक हो, को ऐसी रीति में और ऐसी अर्हताओं सहित, जो विहित की जाएं, नियुक्त कर सकता है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अमले को भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) अमला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियंत्रणाधीन होगा।

(4) प्राधिकरण, मेले के प्रबन्धन के लिए राज्य सरकार के विभागों के क्षेत्रीय स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ–साथ स्थानीय निकायों के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त कर सकता है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेंगे और ऐसे अधिकारी या कार्मिक द्वारा अनुपालना के मामले में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उनकी सेवाओं को लागू अधिनियमों और नियमों के उपबन्धों के अनुसार उनके विरूद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश करने की शक्तियां होगी।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऐसी रीति में, ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, ऐसे अन्य अमले, जो वह आवश्यक समझे, को नियुक्त कर सकता है।

निधि ।

15. (1) प्राधिकरण की एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित जमा करवाया जाएगा, अर्थात्:–

(क) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोई अनुदान;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई कोई फीस, प्रभार, पथ कर तथा अधिभार इत्यादि;

(ग) कोई न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान; तथा

(घ) प्राधिकरण की ओर से प्राप्त की गई कोई अन्य धनराशियाँ।

(2) निधि को निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाया जाएगा:–

(क) प्राधिकरण के सुचारू कार्य संचालन हेतु खर्च चुकाने में;

(ख) राज्य के भीतर या बाहर या विश्व में किसी भी स्थान पर मेले का आयोजन करने हेतु;

(ग) आगंतुकों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में;

(घ) आगंतुकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सहूलियत सुनिश्चित करने में;

(ङ) मेला क्षेत्र में सामग्रियों, भवन और संरचनाओं की सुरक्षा करने में;

(च) सांस्कृतिक, शैक्षणिक सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों का आयोजन करने में; तथा

(छ) किसी अन्य प्रयोजन, जो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाए।

प्राधिकरण को वार्षिक अनुदान, ऋण तथा अग्रिम।

16. राज्य सरकार, प्राधिकरण को प्रतिवर्ष ऐसी धनराशियों का अनुदान, ऋण या अग्रिम दे सकती है, जो राज्य सरकार आवश्यक समझे और इस प्रकार दिए गए सभी अनुदान, ऋण या अग्रिम ऐसे निबंधनों और शर्तों पर होंगे, जो राज्य सरकार अवधारित करे।

लेखे और लेखा–परीक्षा।

17. (1) प्राधिकरण ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगा और वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा।

(2) निदेशालय, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा या राज्य सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, यथा विनिर्दिष्ट ऐसा प्राधिकरण, लेखों की प्रतिवर्ष लेखा–परीक्षा करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रतिवर्ष उस वर्ष के दौरान किए गए अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे राज्य सरकार को, ऐसे प्ररूप तथा ऐसी तिथि, जो विहित की जाए, को या से पूर्व प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखवाएगी।

बैंक खातों का संचालन।

19. (1) निधि में भुगतान योग्य सभी राशियां या तो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या राज्य के खजाना में एक अलग खाते में जमा करवाई जाएंगी।

(2) निधि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी और वित्त विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त लेखों के प्रभारी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन संचालित की जाएगी।

क्तियों का ायोजन।

20. प्राधिकरण, लिखित में आदेश द्वारा, अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां और कृत्य, जो यह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।

देशों का ाणीकरण।

21. प्राधिकरण के सभी आदेश तथा निर्णय, अध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों के अधीन प्रमाणीकृत किए जाएंगे।

भावपूर्वक की कार्रवाई के ए संरक्षण।

22. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसरण में की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

ाम बनाने की क्ति।

23. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथा शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

नियम बनाने की क्ति।

24. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बनाएगा और उन्हें प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किए जा सकते हैं, अर्थात्:–

(क) रीति, जिसमें प्राधिकरण सुविधाओं का प्रबन्ध, आयोजन तथा व्यवस्था कर सकता है;

(ख) मेला क्षेत्र में वाहन की पार्किंग या किसी वाहन के प्रवेश या किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय अथवा प्रदर्शन के लिए लाए जा रहे मालों या विज्ञापन पर पथकर;

(ग) कारबार, व्यापार या वृत्ति की गतिविधि के पंजीकरण पर फीस;

(घ) सेवा प्रभार के रूप में व्यक्तिक को उपलब्ध करवाई गई सेवाओं पर फीस;

(ङ) मेला क्षेत्र में कोई अन्य प्रभार तथा फीस, जो प्राधिकरण मेले के हित में उचित और आवश्यक समझे;

(च) कोई अन्य मामला, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या किया जा सकता है।

(3) प्राधिकरण, समय–समय पर, किसी भी विनियम का संशोधन अथवा निरसन कर सकता है और ऐसा प्रत्येक विनियम, इसका संशोधन अथवा निरसन, जैसी भी स्थिति हो, प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसको अपलोड करने की तिथि से लागू होगा।

अपराधों के लिए दण्ड।

25. (1) जो कोई भी,–

(क) किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण करता है; या

(ख) किसी अनधिकृत स्थान को शौचालय, मूत्रालय या कचरे के ढेर के रूप में प्रयोग करता है; या

(ग) इस अधिनियम या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना कोई भी व्यवसाय, व्यापार या काम–धन्धा शुरू करता है या ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है; या

(घ) अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना करता है; या

(ड.) इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक लिखित में जारी किए गए किसी भी आदेश या निर्देश की उल्लघंना करता है,

तो साधारण कारावास, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी किन्तु जो तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने, जो कम से कम दो हजार रूपए का हो सकेगा किन्तु जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दी गई शिकायत के सिवाय, किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 का लागू होना।

26. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की किन्हीं शक्तियों को प्रदान कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर, धाराओं के उपबन्ध मेला क्षेत्रों पर लागू होंगे मानो कि मेला क्षेत्र नगरपालिका का ही हिस्सा है और प्राधिकरण का प्रभारी अधिकारी यथा स्थिति, जिला नगर आयुक्त या आयुक्त नगर निगम है और किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना की जाती है, तो उसे उक्त अधिनियम की उल्लंघना माना जाएगा।

राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति।

27. राज्य सरकार, समय–समय पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण को लिखित में ऐसे सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देश दे सकती है।

प्राधिकरण का विघटन।

28. (1) जहाँ राज्य सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि प्रयोजन, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, वह काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए हैं, इसलिए अब राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण का निरन्तर अस्तित्व में बना रहना अनावश्यक हो गया है या इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्राधिकरण को उसको सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने में प्राधिकरण सक्षम नहीं है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकती है कि ऐसी तिथि, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, से प्राधिकरण विघटित हो जाएगा।

(2) उक्त तिथि से –

(क) सभी परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, निधियां और देय, जो प्राधिकरण में निहित हैं या द्वारा वसूली योग्य हैं, राज्य सरकार में निहित होंगे या द्वारा वसूली योग्य होंगे;

(ख) सभी दायित्व, जो प्राधिकरण के विरूद्ध प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के विरूद्ध प्रवर्तनीय होंगे; और

(ग) किसी भी विकास को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु, जिसे प्राधिकरण द्वारा पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया और खण्ड (क) में निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों, निधियों और देयों की वसूली के प्रयोजन हेतु, प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

29. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. भारतीय परम्परा के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण ने कुरूक्षेत्र में महाभारत के युद्धक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद् गीता का शाश्वत सन्देश दिया था। यह प्रसंग कलयुग के शुरू होने से लगभग 36 वर्ष पहले घटित हुआ माना जाता है। तदानुसार, 5160 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद् गीता का सन्देश दिया गया था। हिन्दू कलैन्डर के अनुसार गीता जयन्ती मार्गशीर्ष माह के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है जो कि कभी नवम्बर मास अथवा कभी दिसम्बर मास में आती है।

2. कुरूक्षेत्र की पुरानी विरासत तथा परम्परा को बचाने हेतु, हरियाणा सरकार द्वारा 01 अगस्त, 1968 को कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया था। कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1989 से कुरूक्षेत्र में गीता जयन्ती महोत्सव मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से श्रीमद् भगवद् गीता का महोत्सव वर्ष 2016 से अन्तरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस महोत्सव द्वारा शाश्वत शांति सन्देश, सद्भाव एवं भाईचारा जो श्रीमद् भगवद् गीता में विद्यमान है, को पूरे ब्रह्माण्ड में साझा करने का उद्देश्य है।

3. यह महोत्सव कुरूक्षेत्र, जिसको धर्मक्षेत्र या धार्मिक भूमि भी कहा जाता है, में 18 दिन तक मनाया जाता है। यह महोत्सव कुरूक्षेत्र की भूमि से जुड़ी महान सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक परम्पराओं को दर्शाने का मौका देता है। कुरूक्षेत्र के अतिरिक्त, पूरे हरियाणा राज्य में भी यह महोत्सव 03 दिन के लिये मनाया जाता है। यह महोत्सव भारत से बाहर जैसे कि मारीशस गणराज्य (फरवरी, 2019), युनाइटेड किंगडम (अगस्त, 2019), कनाडा (2022) तथा आस्ट्रेलिया (2023) में भी आयोजित किया गया है।

4. इस महोत्सव की अवधि के दौरान देश एवं विदेश से बड़ी संख्या में लोग व श्रद्धालु अपने आप को स्थानीय लोगों के साथ उत्साहपूर्वक सम्मिलित करते हैं।

5. वर्तमान में गीता जयंती महोत्सव को आयोजित करने के लिए राज्य में कोई स्वतन्त्र प्राधिकरण/निकाय नहीं है। राज्य सरकार महसूस करती है कि अन्तरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रबन्धन एवं विनिमयन हेतु एक प्रभावी प्राधिकरण का गठन करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ठीक एवं सही तरीके से हो सके तथा तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं को महोत्सव के दौरान बेहतर सुविधायें प्रदान की जा सकें। प्राधिकरण का मुख्य कार्य श्रीमद् भगवद् गीता की शिक्षा को प्रसारित करना एवं लोकप्रिय बनाना तथा साथ ही सांस्कृतिक, शैक्षिक सेमिनार, कार्यशालायें, मेले, प्रदर्शनियां एवं सम्मेलनों का आयोजन करना होगा। आगे, यह श्रद्धालुओं व तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सेवायें मुहैया करवायेगा और इसके पास जनहित में इस प्रस्तावित विधेयक में वर्णित सभी शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे।

6. इसलिए, हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयन्ती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024 को अधिनियमित करना आवश्यक है। अतः यह विधेयक।

डॉ० कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 19 फरवरी, 2024.

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 19 फरवरी, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

प्रत्यायुक्त विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 23 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन एक सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन संलग्न है।

10895—H.V.S.—H.G.P.—Pkl.